बिहार विधान सभा के लिए तारांकित प्रश्न	
श्री कुमार शैलेन्द्र, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक –11.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन0–08 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	**श्रीमती लेशी सिंह,** प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के खरीक प्रखण्ड अन्तर्गत खैरपुर पंचायत के ग्रामीण 2007–08 में गंगा नदी में आये भयंकर बाढ़ से ग्रसित होकर पीड़ित का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि हॉ तो क्या सरकार ग्रामीणों को पुनर्वासित करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वर्ष 2007–08 में गंगा नदी में आये भयंकर बाढ़ से विस्थापित खरीक प्रखंड अन्तर्गत खैरपुर पंचायत के ग्रामीण जिस भूमि पर बसे हुए हैं, उस वास भूमि के अर्जन हेतु स्वीकृति एवं आवंटन आपदा प्रबंधन विभाग, पटना के पत्रांक –1976/आ0प्र0 दिनांक –06.06.14 द्वारा दिया जा चुका है। भूमि अर्जन की प्रक्रिया जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रारंभ किया गया है । भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर गृहस्थल का पर्चा विस्थापित परिवारों को शीघ्र दिया जाएगा । विस्तृत अनुपूरक सामग्री संलग्न है ।

अनुलग्नक –यथोपरि ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0स0ता0प्र0–30 / 2014 / ..... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय पटना को उनके ज्ञापांक 1595 दिनांक–04.07.2014 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अनु0–यथोपरि।

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

2419

ज्ञापांक–04 / वि0स0ता0प्र0–30 / 2014 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 14/7/14

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7/14
संयुक्त सचिव

अनु0–यथोपरि।

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 27-6-14 31-7-14\Q ans 8-7-14.docx

FAX

5

<u>श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा चालू सत्र में दिनांक 11.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पुनः– 08 का विस्तृत अनुपूरक सामग्री :–</u>

भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक अंचल के मौजा–खैरपुर के टोला काजीकोरैया में वर्ष 2007 में गंगा नदी में आये भीषण बाढ़ से कटाव के कारण अनेक विस्थापित परिवार श्री राजेश्वर चौधरी पे0– स्व0 कंतलाल चौधरी के मौजा खैरपुर थाना नं0– 91, खाता नं0– 169, 218 एवं 219, खेसरा नं0– 443, 446, 349 एवं 350, रकवा– 5.68 एकड़ जमीन पर तत्काल आकर बस गये थे, जो आजतक बसे हुए है। बसे परिवारों को हटाने हेतु श्री राजेश्वर चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 – 8613/2009 दायर किया गया। वर्त्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के तहत विस्थापित परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत बसाने हेतु परिवारों के वासभूमि एवं घर का भौतिक सत्यापन के क्रम में पाया गया कि कई परिवारों का घर उनकी क्रय की गयी जमीन पर बना हुआ पाया गया। इसलिए उनलोगों को छोड़कर पूर्णतया वास भूमि विहीन कुल 175 विस्थापित परिवारों को श्री राजेश्वर चौधरी एवं अन्य की जमीन पर बसाने हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग, पटना को भेजा गया। आपदा प्रबंधन विभाग से भू–अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि का आवंटन उनके पत्रांक 1976/आ0प्र0 दिनांक 06.06.14 द्वारा प्राप्त हुआ। जिसके आलोक में जमीन का भू–अर्जन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को पत्रांक 1293 दिनांक..10.06.14 द्वारा आदेश दिया गया है।

उक्त के आलोक में भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा नये नियमावली के तहत भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्हें गृहस्थल का पर्चा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अपर समाहर्त्ता,
भागलपुर।